मंथन क्रमांक-161

स्वतंत्रता की खुशी या विभाजन का गम- बजरंग मुनि

जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब मेरी उम्र सिर्फ 8 वर्ष की थी। मुझे स्वतंत्रता की प्रसन्नता का प्रत्यक्ष अनुभव था, लेकिन मुझे बाद में यह पता चला कि यही 15 अगस्त भारत के विभाजन का भी दिन माना जाता है। मैं जिस क्षेत्र का निवासी हूँ, उसमें विभाजन का कोई प्रभाव नहीं था। इसलिए वहां स्वतंत्रता की प्रशंसा ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी था, जहां स्वतंत्रता की खुशी की तुलना में विभाजन की त्रासदी अधिक प्रभावी थी। हत्याएं और अत्याचार तो एक दूसरे पर हो ही रहे थे, तथा लगभग पूरे क्षेत्र में अविश्वास का वातावरण बन गया था। लगभग सभी लोग दो सांप्रदायिक गुटों में बंट कर चिंतित थे। आज तक यह बात साफ नहीं हो सकी है कि भारत का कितना हिस्सा स्वतंत्रता से प्रसन्न था और कितना विभाजन से पीड़ित। यह बात अब भी आवश्यक रूप से सोचनीय है कि स्वतंत्रता और विभाजन एक साथ क्यो जुड़ गए। क्यों नहीं हम मिल बैठकर इस विषय पर कोई एक निर्णय कर सके? इन परिस्थितियों पर विचार करते समय मुझे इसी 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उस घोषणा की याद आ जाती है, जब उन्होंने मनेन्द्रगढ को जिला बनाने की घोषणा की। स्पष्ट है कि वर्षों से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के लोग एक साथ मिलकर मनेंद्रगढ़ को अलग जिला बनाने की लड़ाई में सक्रिय थे। लेकिन 15 अगस्त को जिला बनने की घोषणा होते ही मनेन्द्रगढ और चिरमिरी के लोग एक दूसरे के शत्रु बन गए। दोनों ही जिले के लोग इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मिल बैठकर आपस में कोई सर्व सम्मत निर्णय करे और फिर से सन सैतालिस के विभाजन का इतिहास मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी के बीच न दोहराया जाये। हड़ताले होंगी, आंदोलन होंगे, देश का नुकसान होगा और एक दूसरे के बीच उसी तरह की कटुता बढ़ेगी जैसे आमतौर पर हो रहा है।

विचारणीय यह है कि विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी और गलती किसकी है? जब गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह तथा अन्य अनेक लोगो के नेतृत्व मे अलग-अलग समूह भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की योजना बना रहे थे, तब अंग्रेज स्वतंत्रता को रोकने के लिए सांप्रदायिक गृह युद्ध की योजना पर कार्यरत थे। उन्होंने अपनी योजना के क्रियान्वयन के लिए मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की पीठ थपथपाई। अन्य लोग स्वतंत्रता संघर्ष के लिए सक्रिय थे तो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा भारत विभाजन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। मुसलमान तो हमेशा ही संगठित होता हैं इसलिये सांप्रदायिक आवाज उठते ही वह इकट्ठा हो गया, लेकिन हिंदू तबका सावरकर के साथ पूरी तरह इकट्ठा नही हुआ। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों की चाल असफल हो गई लेकिन उसके बदले में भारत को विभाजन की त्रासदी झेलनी पडी। आज भी हम देख रहे हैं कि भारत स्वतंत्रता के सुख का जितना लाभ उठा रहा है उतना ही नुकसान उसे विभाजन का भी उठाना पड़ रहा है। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता और विभाजन का एक साथ होना लाभ-हानि के आकलन में बहुत विरोधाभास पैदा करता है।

हमने विभाजन के कष्ट देखे भी है और सुने भी हैं। लगभग हर भारतीय विभाजन को गलत मानता है। लेकिन विचारणीय यह है कि हम इन ऐतिहासिक घटनाओं से भविष्य के लिए क्या सीख रहे हैं? स्वतंत्रता और विभाजन को अब 75 वर्ष बीत गए हैं। अगर हम भारत की वर्तमान स्थिति की तुलना करें तो यह भय पैदा होने लगता है कि कहीं हम फिर से उसी विभाजन की पटकथा तो नहीं लिखते जा रहे हैं जो स्वतंत्रता के पूर्व भारत की संप्रदायिक शक्तियां लगातार लिख रही थी। उस समय भी भारत विभाजन की पहल मुसलमानों की ओर से की गई थी जिसके विरुद्ध कोई सर्व सम्मत योजना नहीं बनी। एक गुट मुसलमानों को संतुष्ट रखकर विभाजन टालना चाहता था तो दूसरा गुट मुसलमानों को दबाकर विभाजन रोकना चाहता था।

अधिकांश मुसलमान तो पूरी तरह विभाजन के पक्ष में एकजुट हुआ, किन्तु विभाजन विरोधी ताकतें विभाजन तक कभी एकजुट नहीं हुई। यदि हम आज की परिस्थिति देखें तो आज भी सांप्रदायिक मुसलमान लगभग उसी तरह सांप्रदायिक आधार पर एकजुट हो रहा है और देश की शक्तियां इस संप्रदायिकता एक जुटता के विरूद्ध उसी तरह विभाजित हैं जिस तरह स्वतंत्रता के पूर्व थी। अर्थात एक गुट मुस्लिम संप्रदायिकता को संतुष्ट करने का पक्षधर हैं तो दूसरा गुट संप्रदायिकता को कुचल देना चाहता है। क्या फिर से भारत में विभाजन की नई परिस्थितियां नहीं बनाई जा रही हैं? हम इस सम्बन्ध में मिल जुलकर कर कोई एक नीति क्यों नहीं बना रहे हंै!

मैने संप्रदायिकता पर गंभीरता से विचार किया। यह बात सैद्धान्तिक रूप से सत्य है कि सांप्रदायिकता को सिर्फ कुचला ही जा सकता है संतुष्ट नहीं किया जा सकता! लेकिन दूसरी बात यह भी सही है कि वर्तमान भारत के वातावरण में मुस्लिम सांप्रदायिकता को सिर्फ डंडे के जोर से नहीं दबाया जा सकता है। इस सांप्रदायिकता को यदि स्वतंत्रता के बाद तत्काल ही रोका गया होता तो तब कुछ संभावना थी कि हम इसे फिर से सिर नही उठाने देते, लेकिन हिंदू सांप्रदायिकता ने गांधी हत्या और मुस्लिम सांप्रदायिकता को पंडित नेहरू का संाप्रदायिक समर्थन मिल जाने से फिर से भारत उसी सांप्रदायिक राह पर तेजी से चलने लगा, जिस दिशा में वह विभाजन के पूर्व चल रहा था। फिर से नेहरू का संरक्षण पाकर मुस्लिम सांप्रदायिक तत्व एकजुट होते चले गए तो दूसरी और सांप्रदायिकता विरोधी शक्तियां आजतक तय नहीं कर पायी कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का मार्ग अच्छा है अथवा अन्य अल्पसंख्यक प्रकार साम्प्रदायिकता को कुचल देने का बीच का। मार्ग समान नागरिक संहिता के रूप में ही हो सकता था किंतु दोनों सांप्रदायिक शक्तियां इस मार्ग पर सहमत नहीं है। एक गुट पूरी ताकत लगा कर मुस्लिम सांप्रदायिकता को संतुष्ट करना चाहता है तो दूसरा गुट हिन्दू राष्ट्र की आवाज उठाकर मुस्लिम सांप्रदायिकता को कुचलने का प्रयत्न करता है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि हमने विभाजन की त्रासदी सेे हमने क्या सीखा?

तत्काल मे हम अफगानिस्तान में मुस्लिम सांप्रदायिकता का नंगा नाच भी देख रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि मुसलमान हमेशा एकजुट रहते है उन सब ने अफगानिस्तान में देखा था और देख रहे हैं कि मुसलमान कभी एकजुट हो ही नहीं सकते हैं। अफगानिस्तान में तो पूरा संघर्ष मुसलमानों के बीच ही है। ऐसा टकराव सिर्फ अफगानिस्तान में ही नहीं है बल्कि दुनियां के अन्य मुस्लिम देशों में भी यही हाल है कि मुसलमान कभी एकजुट हो ही नहीं सकता । इसका अर्थ यह है कि जब भी हम कोई साफ नीति न बनाकर ढुलमुल नीति बनाते हैं तभी संप्रदायिकता मजबूत होती है। मैंने लिखा था कि बुद्धि का काम डंडे से नहीं हो सकता। मेरा इशारा यह था कि यदि आप सिर्फ दंडे का प्रयोग करेंगे तो मुसलमान एक जुट होता जाएगा और यदि आप भेद नीति का उपयोग करेंगे तो वह कभी एकजुट नहीं हो सकता। अफगानिस्तान घटना के समय हम स्पष्ट देख रहे है कि अफगानिस्तान का मुस्लिम बहुमत तालिबान के खिलाफ है और भारत का मुस्लिम बहुमत तालिबान के पक्ष मे। स्पष्ट है कि बुद्धि का काम सिर्फ डंडे से नही हो सकता है। हमें भारत की वर्तमान परिस्थितियों का भी आकलन करते हुए विभाजन को रोकने के उद्देश्य से बुद्धि का उपयोग करना चाहिए।

भारत की स्वतंत्रता को अब गुलामी का कोई खतरा नहीं है। हमारी सेनाएं भी पर्याप्त सक्षम है और आर्थिक स्थिति भी ठीक है। हमें इस संबंध में सरकार पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। सांप्रदायिकता के मामले में वर्तमान मोदी सरकार की दिशा बिल्कुल ठीक है, हमें इस संबंध में सरकार पर भरोसा करना चाहिए कि जिस तरह कश्मीर को शांत किया गया है और जिस तरह धीरे-धीरे देश नागरिक संहिता की दिशा में बढ़ रहा है वह हमारे लिए संतोष का आधार है। नेहरू वादी अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की नीतियां भी लगातार

कमजोर होती जा रही हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर तथा व्यक्तिगत स्तर पर हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर हमें अपनी प्राथमिकताओं को इस दिशा में बढाना चाहिए कि हमारे आसपास जो मुसलमान हैं वे समान नागरिक संहिता का समर्थन करें, समाज को धर्म से ऊपर माने एवं अपनी धार्मिक गतिविधियों तक सीमित रह कर संगठनात्मक गतिविधियों से पूरी तरह दूरी बनाये, उनके साथ हमारा स्थानीय स्तर पर बहुत ही अच्छा संबंध होना चाहिए। यदि हम ऐसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो अवश्य ही हम साम्प्रदायिकता को रोकने में सफल होंगे। लेकिन हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हुए यह भी सावधानी रखनी चाहिए कि दुनियां भर के आम मुसलमानों की यह कमजोरी है कि वह संप्रदायिकता की आवाज उठते ही तुरंत इक्टठे हो जाते हैं और यदि ऐसी आवाज के साथ हिंसा भी जुड़ी हो तब तो वह अपने को बिल्कुल भी रोक नहीं पाते हैं। यदि इन दोनों स्थितियों के साथ ही सांप्रदायिक और हिंसक शक्ति मजबूत स्थिति में हो तो मुसलमान का सारे संबंध तोड़ कर उसके साथ हो जाना लगभग निश्चित होता है इसलिए हमें ऐसी परिस्थितिया होते हुए भी व्यक्तिगत स्तर पर सावधान जरूर रहना चाहिए तथा हमें दो बातें याद रखनी चाहिए कि सांप्रदायिकता को सिर्फ कुचला ही जा सकता है, इसे कभी संतुष्ट किया नहीं जा सकता और सांप्रदायिकता से बचाव का सबसे अच्छा मार्ग बुद्धि का प्रयोग है डंडे का उपयोग नहीं।

मै कौन-

गंताक का शेष-

मैं मानता हूं कि वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था दुनियां की सबसे अच्छी सामाजिक व्यवस्था है। वर्णाश्रम व्यवस्था जन्म से न होकर योग्यता और क्षमता का आकलन करके घोषित होनी चाहिए। बचपन में ही किसी परीक्षा के बाद बच्चे का वर्ण घोषित करके उसे उस दिशा में प्रशिक्षित करना चाहिए। वर्तमान भारत में जन्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था विकृत हुई है जिसमें सुधार की जरूरत है किंतु वर्ण व्यवस्था का विरोध करना ठीक नहीं। अब ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम को छोड़कर मार्गदर्शक, रक्षक, पालक और सेवक नाम से नई वर्ण व्यवस्था बनानी चाहिए । मार्गदर्शक को सन्यास आश्रम तक जाना चाहिए। रक्षक, पालक और सेवक वानप्रस्थ तक रह सकते हैं । मैं स्वयं को बचपन से ही मार्गदर्शक मानता रहा और आज भी मानता हूं इसलिए मैं जीवन में कभी राजनैतिक सत्ता एवं धन संग्रह मे संलिप्त नहीं रहा । मैंने हमेशा सत्ता और धन से समुचित दूरी बनाने का प्रयास किया।

मैंने 25 दिसंबर 2020 को कर्म सन्यास घोषित किया। मेरी घोषणा के साथ ही कुछ सामाजिक विचारकों ने मिलकर एक संस्था का स्वरूप बनाया जिसका नाम 'मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान,' संक्षिप्त नाम 'संस्था' रखा। मैं इस संस्थान को वैचारिक सहयोग करता हूं, किंतु इस संस्थान में मेरी सहभागिता नहीं है, संस्थान पूरी तरह स्वतंत्र है। संस्थान आवश्यकतानुसार मेरी सलाह ले सकता है, या मेरा उपयोग कर सकता है। संस्थान का अलग फेसबुक एकाउंट 'मार्गदर्शन' के नाम से चल रहा है। मंै 'मार्गदर्शन' में कुछ नहीं लिखता मुझे जो भी लिखना होता है, वह बजरंग मुनि या विचारक बजरंग मुनि फेसबुक एकाउंट में ही लिखता हूॅ।

मेरा यह नैसर्गिक स्वभाव है कि मैं पाठकों के लिये, न तो समस्याओं की सूचना तक सीमित रहता हूं और न ही समस्याओं से समाज को भयभीत करता हूं। मैं जिन समस्याओं की चर्चा करता हूं उन सब का समाधान भी बताता हूं। मेरे विचार से बिना समाधान के समस्याओं की चर्चा करना तो आम लोगों की आदत है। मैं एक विचारक हूं। मैंने जीवन भर समाजशास्त्र पर रिसर्च किया है। उचित है कि मैं समस्याओं

को बताकर दया, दोहन करने की तुलना में समस्याओं का समाधान बताकर भ्रम दूर करने का प्रयास करुॅ। इसलिए मैं समाधान पर अधिक चर्चा करता हूं।

मैं बचपन से ही स्वयं को मार्गदर्शक मानता रहा हूॅ। सैद्धान्तिक रुप से मार्गदर्शक को धन और सत्ता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मैंने जीवन भर इसका पालन किया। राजनैतिक दल के उच्च पदों पर रहते हुए भी मैंने कभी सत्ता का पद स्वीकार नहीं किया । धन के मामले में भी जीवन में मैंने कभी न चंदा मांगा और न दिया। चंदा मांगने की मुझे आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मुझे किसी भी प्रकार के धन की आवश्यकता होती थी तो समाज बिना मांगे उसे पूरा कर देता था । चंदा देना उचित नही था क्योंकि बचपन से ही मैंने प्रयोग करके देखा कि चंदा एक प्रकार का धंधा बन गया है । चंदे का सत्तर प्रतिशत तो भ्रष्टाचार की भेट चढ जाता है, बीस प्रतिशत संस्थाएं कट्टरवाद के प्रचार में खर्च करती है। दस प्रतिशत ही सही उपयोग होता है। इसलिए मैने चंदा लेना और देना पूरी तरह बंद कर दिया। बाद मे रामानुजगंज शहर में भी चंदा लेना और देना बंद कर दिया गया जो लगभग तीस चालीस वर्षों तक चलता रहा । अभी भी चंदा लेना और देना बंद रखा है, मेरी जो भी व्यक्तिगत या संस्थागत जरुरत होती है वह समाज के लोग पूरी कर देते हैं ।मैंने बचपन में ही अनुभव किया कि समाज में प्रचलित अनेक धारणाएं पूरी तरह गलत होते हुए भी समाज उन्हें सत्य के समान मानकर चल रहा है। मैंने इस भूल के कारणों पर विचार किया तो पता चला कि निष्कर्ष निकालने में परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है । भारत में जब विचार मंथन बंद हुआ तब विदेशियों ने सबसे पहले परिभाषाओं को ही विक्रृत किया । यह विकृत परिभाषाएं प्रचार माध्यमों द्वारा दुनियां में प्रचारित की गई और गलत परिभाषाओं के माध्यम से विश्व में असत्य वर्तमान मे सत्य के समान स्थापित हुआ । मैंने ऐसी कई सौ विकृत परिभाषाओं पर रिसर्च किया और उनमें बदलाव किया। धर्म, समाज, संविधान, अपराध, मूल अधिकार, महंगाई, बेरोजगारी जैसी सैकड़ों परिभाषाएं समाज में प्रचलित हैं, जो या तो असत्य हैं या विकृत है। यह गलत परिभाषाएं आधुनिक संचार माध्यमो जैसे गूगल से भी प्रचारित हो रही हैं तथा भारत के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाई जा रही हैं। मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि अब ऐसी विकृत या असत्य परिभाषाओं को विश्व स्तर पर चुनौती देने की आवश्यकता है । यह कार्य संस्थान ने शुरू भी कर दिया है।

सामयिकी

1 बी बी सी की विश्वसनीयता

सलमान रावी एक प्रतिष्ठित समाचार लेखक है। और बी बी सी एक विश्वसनीय समाचार प्रसारक। कल बी बी सी से सलमान रावी की दिल्ली वाली घटना पर छपी एक रिपोर्ट सामने आई। जिसे पढ़कर ऐसा लगा कि सलमान जी ने जानबूझकर घटना से सत्य को छिपाने की कोशिश की है। यह बात पहले से ही प्रमाणित है कि लड़की की मृत्यु के बाद आरोपी द्वारा मोटर साइकिल से एक आदमी भेज कर लड़की की मां को सूचना दी गई थी। तब मां उक्त स्थान पर गई और लड़की को देखा । सलमान जी ने लिखा है कि देर होती देखकर लड़की की मां लड़की को खोजते-खोजते वहां पहुंची और लड़की को मरा पाया। यह भी लिखा गया कि स्थानीय लोगों ने बताया कि वे लोग जलती हुई लाश को जब बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस वालों ने उन्हें बुझाने से रोका, जबकि पुलिस वालों ने बताया कि उन्होंने जलती हुई लाश को बुझा कर लाश को बचाया था । इस मामले में भी सलमान जी ने स्थानीय लोगों के कथन को ही अधिक विश्वसनीय बताया जबकि विवरण तटस्थ होना चाहिए था । पुलिस पूरी तरह झूठ ही बोलती है और स्थानीय लोग या पीड़ित परिवार सच बोलता है ऐसा मानना ठीक नहीं है । समाचार प्रेषक को इस एकपक्षीय धारणा से बचना चाहिए। जब से भारत में ऐसी घटनाएं

राजनीतिक तथा परिवार की बड़ी आर्थिक सहायता का माध्यम बनने लगी हंै, तब से झूठ बोलकर घटनाओं को मोड देना एक फैशन बन गया है । पेशेवर लोग एक तरफ तो परिवार वालों को झूठ बोलने की ट्रेनिंग देते हैं तो दूसरी ओर सरकारों को भी प्रेरित करके बड़ी बड़ी सहायता दिलवाते हैं और यही पेशेवर लोग बीच में कमीशन भी खाते हैं। इसलिए अब ऐसे मामलों से सावधान रहने की जरूरत है । पुलिस, परिवार, मीडिया नेता सब जगह अनेक लोग झूठ बोलने का व्यवसाय करने लगे हैं इसलिये सत्य खोजना ही कठिन हो रहा है। अभी तो सबसे ज्यादा जरूरत एक ऐसे विश्वसनीय समूह की है जिसके कहे पर इतना विश्वास हो जाए कि यह समूह झूठ नहीं बोलेगा । हमारा प्रयास है कि हम सब मिलकर एक ऐसा समूह तैयार कर सकें।

2 नेहरुवाद को समेटता मोदीवाद

मैं अपने जीवन में साठ वर्ष रिसर्च करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गांधी हत्या के बाद भारत नेहरू वाद की दिशा में तेज गति से दौड़ने लगा। नेहरू वाद ने भारत को आर्थिक और राजनीतिक रूप से कंगाल कर दिया । सन 1991 में नरसिंह राव, मनमोहन सिंह की जोड़ी ने भारत को नेहरू वाद की अर्थ नीति से मुक्त किया। भारत इन दोनों की पहल के कारण ही आर्थिक दिशा में सुरक्षित रह सका, अन्यथा भारत कभी भी गुलाम हो सकता था। उसके बाद की सभी सरकारे आर्थिक मामले में नेहरू वाद से दूर ही रही । नरेंद्र मोदी ने पिछले सात वर्षों में नेहरू वाद का राजनीतिक ढांचा भी पूरी तरह पलट दिया । अब धीरे-धीरे भारत राजनीतिक धरातल पर भी आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ने लगा है । नेहरू वाद के समय भारतीय राजनीति फूट डालो और राज करो के प्रमुख आधार पर चल रही थी । वर्ग विद्वेष बढ़ाकर वर्ग संघर्ष तक ले जाना नेहरू वाद का मुख्य आधार रहा । इस नीति के कारण भारत में लगभग चार सौ समस्याएं पैदा हुई या बढ़ती गई । अब नरेंद्र मोदी उनमें से तीन चार प्रमुख समस्याओं को तो निपटा चुके हैं और धीरे-धीरे अन्य समस्याओं पर भी तैयारी चल रही है । नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण। इस समस्या की पहले 5 वर्ष में कमर तोड़ दी गई। उसके बाद कश्मीर से धारा 370 को हटाकर कश्मीर को सुरक्षित कर लिया गया। भारत में किसान के नाम पर किसान नेता भी लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। मोदी वाद ने इसके लिए भी अच्छी पहल की। यूपी चुनाव आने तक यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी। किसान नेताओं से भी देश का पिंड छूट जाएगा । फिर भी अभी मोदीवाद के समक्ष सैकड़ों ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। धीरे-धीरे एक-एक करके सब निपट जाएंगे। एक बार नेहरू वाद के दाह संस्कार के बाद तो यह गति बहुत तेज हो जाएगी। अब नेहरू वाद मृत्यु शैया की ओर बढ़ रहा है जल्दी ही अच्छे दिन आने की उम्मीद है।

नरसिंह राव के पूर्व तक भारतीय राजनीति में गरीबी को बहुत सम्मान प्राप्त था, और संपन्न लोगों को गालियां दी जाती थी। उन्हें तस्कर, ब्लैक मार्केटियर, जमाखोर, शोषक और पता नहीं किन-किन शब्दों से पुकारा जाता था। नेहरू युग में भारत के उद्योगपतियों से आय का 95 प्रतिशत तक टैक्स के रूप में वसूल लिया जाता था यह बात आज कई लोगों को अविश्वसनीय लगती है किंतु यही सच था। उद्योग लगाना बहुत कठिन कार्य था। पचास तरह के लाइसेंस ठोक दिए जाते थे। विदेशी एजेंट पूरे भारत में घूम-घूम कर मजदूरों की हड़ताल करवाते थे। या तो एजेंट उद्योगपतियों को चूस लेते थे या उद्योग बंद हो जाता था। नेहरू वादी व्यवस्था इन सब एजेंटों को संरक्षण देती थी और इनको विदेशों से भी धन मिलता था, क्योंकि भारत का उत्पादन घटने से विदेशी आयात बढ़ता था। सरकारीकरण को उस समय राष्ट्रीयकरण कहा जाता था। सरकार मनमाना टैक्स वसूल कर सरकारीकरण के नाम पर भ्रष्ट कर्मचारियों की फौज खड़ी कर रही थी। लगातार सरकारी गुलामों की संख्या बढ़ती जा रही थी। नरसिंह राव, मनमोहन सिंह ने उस संस्कृति को बदला लेकिन मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में फिर से वही दौर लाने की कोशिश शुरू हुई। फिर से नेहरूवादी लोगों ने

अडानी, अंबानी को गालियां देने की आदत बना ली। चीन तक से गुप्त समझौते करके आयात बढ़ाना शुरू हुआ, लेकिन जनता ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब भारत सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है अडानी, अंबानी को मदद की जा रही है, सम्मान दिया जा रहा है। उद्योगों के प्रोत्साहन से नेहरू परिवार को बहुत जलन हो रही है, यह सच है। लेकिन मोदी सरकार नरसिंह राव की लाइन पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है । कोरोना टीका जिस तेजी से भारत में बना या भारत जिस तेजी से पांच दिशा में बढ़ रहा है वह किसी बदलाव का परिणाम है। एक तरफ नेहरू परिवार टावर उखाड़ अभियान की प्रशंसा कर रहा है, तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी सरकार टावर लगाओ अभियान को प्रोत्साहित भी कर रही है ।मुझे उम्मीद है कि अब भारत आत्मनिर्भर होगा, हम आयात कम करेंगे और निर्यात अधिक करेंगे। अब गरीबी को सम्मानित नहीं बल्कि गरीबों को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत को आत्मनिर्भर बनना ही चाहिए, क्योंकि भारत अब नेहरू वादी अर्थ नीति से बाहर निकल चुका है।

3- पुलिस थानो की कार्यशैली एवं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि भारत के पुलिस थाने मानवाधिकार हनन के प्रमुख केंद्र बनते जा रहे हैं। देशभर के अनेक बुद्धिजीवियों ने न्यायाधीश महोदय की टिप्पणी की प्रशंसा की है। मेरे कुछ मित्रों ने भी न्यायाधीश महोदय की टिप्पणी पर सहमति व्यक्त की है । किंतु मैं इसके ठीक विपरीत सोचता हूं । मेरे विचार से मानवाधिकार सुरक्षा में न्यायपालिका ही सबसे बड़ी बाधा है, और पुलिस से ही आंशिक उम्मीद बची दिखती है । मानवाधिकार के शत्रु अपराधी होते हैं। इन अपराधियों का सबसे अधिक विश्वास न्यायपालिका पर तथा सबसे ज्यादा भय पुलिस से होता है । मानवाधिकार के शत्रुओं का न्यायालय पर इतना भरोसा क्यों है और पुलिस से क्यों डरते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका को मानवाधिकार के शत्रुओं के मानवाधिकार की चिंता अधिक है और शांति प्रिय लोगों के मानवाधिकार की कम। न्यायालय इन मानवाधिकार के शत्रुओं को निर्दोष घोषित कर दे तो न्यायपालिका कभी चिंता नहीं करती और पुलिस किसी वास्तविक अपराधी की थाने में पिटाई कर दे या गोली मार दे तो न्यायालय स्वत संज्ञान लेकर सक्रिय हो जाता है। आज आम जनता का कानून और न्याय पर से विश्वास कम होने में मुख्य भूमिका न्यायपालिका की मानी गई है। बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि न्यायपालिका न्याय की तुलना में कानून को अधिक महत्त्व दे रही है और पुलिस कानून की तुलना में न्याय को। आम जनता न्याय और कानून के बीच न्याय को अधिक महत्वपूर्ण मानती है। पुलिस इस संबंध में ठीक दिशा में कार्य कर रही है मेरा निवेदन है कि न्यायपालिका अपनी टिप्पणी पर फिर से विचार करें।

4-संसद मे सांसदो की गुंडागर्दी

भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा चुनाव आयोग ने कई बार टिप्पणियां की हैंकि भारत की संसद में अपराधियों की उपस्थिति लगातार बढ़ती जा रही है । चुनाव आयोग तथा न्यायालय संवैधानिक सीमा के कारण इसका कोई समाधान नहीं कर पा रहे हैं किंतु जनता को दोनों ही लगातार सूचित कर रहे हैं कि संसद में अपराधियों का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यायालय और चुनाव आयोग का यह आकलन बिल्कुल सही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण संसद में देखने को मिला। संसद में बढ़ती गुंडागर्दी से दुखी होकर संसद को 2 दिन पहले ही बंद करना पड़ा । गुंडे मंत्री के हाथ से कागज छीन कर फेंक रहे थे तो कुछ संसद में अध्यक्ष या अन्य कार्यकर्ताओं से मारपीट पर लगातार सक्रिय थे । यह संसद में प्रत्यक्ष देखने को मिला। यह गुंडे भी माननीय सांसद के रूप

में वहां जनता के प्रतिनिधि के रुप में उपस्थित थे। यदि व्यवस्था को न मानना ही लोकतंत्र है तो ऐसे लोकतंत्र पर फिर से विचार करना आवश्यक है । कोई कानून संसद ने बनाया और न्यायालय ने भी मान लिया तब सड़क रोक कर गुंडागर्दी करना कौन सा लोकतंत्र है? ऐसी गुंडागर्दी का समर्थन करना भी लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, और ऐसे समर्थन के लिए संसद का उपयोग करना तो लोकतंत्र का पूरा अपमान है । भारत सरकार इस गुंडागर्दी को भी रोकना नहीं चाहती है। सरकार लगातार छूट देकर इन सब को बढ़ावा दे रही है कि यह फिर से गत 26 जनवरी सरीखा कुछ करें। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह किसान नेता टिकैत खुलेआम दादागिरी की बात करते हैं, वह बॉर्डर पर सरकारी जमीन पर मकान बना रहे हैं, सरकार चुप है इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार उस सीमा तक अराजकता को बढ़ने देना चाहती है जहां से उसे बलपूर्वक नियंत्रण करने की सुविधा प्राप्त हो जाए। कल जिस तरह की गुंडागर्दी संसद में देखने को मिली और सरकार ने भी उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया इस तरह सरकार और विपक्ष के बीच लोकतंत्र के चीर हरण का कंपटीशन चल रहा है और हम लोग आंख खोलकर इस चीरहरण का नाटक देख रहे हैं। अच्छा हो कि हम अब लोकतंत्र के विकल्प पर विचार करना शुरू करें।

5-जाति और राजनीति का जहर

उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के एक छोटे से गांव के दो गरीब पड़ोसी परिवारों में अच्छी मित्रता थी। एक परिवार यादव था और दूसरा क्षत्रिय। यादव परिवार अखिलेश समर्थक था और क्षत्रिय परिवार भाजपाई । आपसी संबंध ठीक थे। यादव परिवार के एक युवक ने फेसबुक पर सपा समर्थक गायक अजीत सिंह का एक गाना लिख दिया जिसमें क्षत्रियों को यादवों का साला बताया गया था। क्षत्रिय परिवार ने इस गाने पर आपत्ति की और इसे हटाने के लिए कहा जिसे यादव परिवार ने नहीं माना। दो-तीन दिनों में बात बढ़ती चली गई और क्षत्रिय परिवार ने यादव परिवार के एक सदस्य की हत्या कर दी और एक-दो लोग घायल भी हैं । यह भारत का वह वास्तविक और सामाजिक ताना बाना है जिसके आधार पर नेता पूरे देश मे जातिवाद की राजनीति का जहर घोल रही है। प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में हिंसा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। मुसलमान और सावरकरवादी जोर शोर से हिंसा का वातावरण बनाते जा रहे हैं। राजनेता और जातिवादी तत्व तो इसका लाभ उठाते हैं और प्रयागराज सरीखे गांव के भावना प्रधान मित्र स्वयं ही कट मरते हैं। एक मित्र मर गया तथा दूसरे मित्र के परिवार के लोग जेल चले गए, साथ में पूरा इलाका परेशान हुआ। अब दोनों ही पक्ष के राजनेता वहां जाकर अपनी दुकानदारी शुरू करेंगे, जाति समूह भी वहां अपनी अपनी दुकानदारी फैलायेगे ही । मेरे विचार से दोनों ही पक्ष गलत है किंतु यादव पक्ष की गलती अधिक है ,उसे मित्रता के आधार पर वीडियो हटा लेना चाहिए था। विचारणीय प्रश्न है कि इसका समाधान क्या है? ऐसी घटनाओं में बढ़ती हिंसा की भावना तथा राजनीतिक जातीय विभाजन का एक साथ जुड़ जाना ही मुख्य कारण होता है। मुसलमान और सावरकरवादियों के हिंसक प्रचार का डटकर मुकाबला करने की आवश्यकता है, साथ ही राजनीति और जातिवाद को भी एक साथ जोड़ने का विरोध करना चाहिए अन्यथा ऐसी उत्तेजक घटनाएं होती रहेंगी और हम कुछ नहीं कर सकेंगे।

ज्ञान चर्चा

विषय-1 भारत पाकिस्तान के विभाजन की परिस्थितियाँ, अंग्रेजों की नीतियाँ, कश्मीर और अखंड भारत ।

मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान में हर दिन रात्रि 8ः30 से 9ः30 बजे तक ज्ञान चर्चा आयोजित की जाती है। इस चर्चा में प्रतिदिन कोई न कोई किसी विद्वान विषय पर अपने स्वतंत्र विचार रखते हुए व्यापक परिचर्चा करते हैं । यह कार्यक्रम जूम एपलीकेशन के द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके माध्यम से देश भर के लगभग 100 लोग मिलकर ज्ञान चर्चा करते हैं ।ं एक अगस्त 2021 को उपरोक्त विषय पर शानू अग्रवाल जी ने ज्ञान चर्चा की । उन्होंने भारत के विभाजन की परिस्थितियों का जिक्र करते हुए कहा कि - अंग्रेज भेद नीति पर चलने वाले लोग थे, उन्होने भेद का सहारा लेकर भारत के टुकड़े कर दिए थे । मुसलमान दंड नीति पर तथा हिंदू साम-दाम-भेद की नीति पर चलते हैं । मुसलमान, क्षत्रीय, अंग्रेज, वैश्य और हिंदू ब्राह्मण प्रवृत्ति के होते हैं । विषम परिस्थिति में ही हिंदू दंड नीति का प्रयोग करता है । 1857 के संग्राम को कुचलने के बाद अंग्रेजों का मनोबल बढ़ा हुआ था उसके बाद तिलक और गांधी सरीखे लोगों ने फिर स्वतंत्रता की आवाज बुलंद की । दोबारा स्वतंत्रता की मांग उठने के बाद अंग्रेजों ने उससे निपटने के लिए भेद नीति का सहारा लिया । उन्होंने मुसलमानों को उकसाकर मुस्लिम लीग का निर्माण करवाया । वह जानते थे कि आमतौर पर मुसलमान नासमझ होते हैं, वे दिमाग से काम नहीं लेते हैं और जरा सा चढ़ा देने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं । दूसरी ओर उन्होंने जेल में बंद सावरकर को मोटिवेट किया, उनको समझाया कि अगर आप ऐसे ही स्वतंत्रता के प्रति समर्पित रहे तो आपकी पूरी जिंदगी जेल में ही बीत जाएगी । अगर आपको जेल से निकलना हो तो हिंदू राष्ट्र की मांग करो और बाहर जाकर हिंदुओं को एकत्रित करो । सावरकर इस शर्त को मान गए और जेल से छूटकर हिंदुओं को एकत्रित करना चालू कर दिया और इधर मुस्लिम लीग भी मुसलमानों को अलग राष्ट्र के नाम पर एकत्रित करने लगी । सावरकर की राष्ट्रभक्ति पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इतनी प्रताड़ना मिलने के बाद कोई भी समझौता करने को तैयार हो जाता। अब इन दोनों का स्वतंत्रता की लड़ाई से कोई मतलब नहीं रह गया। मुस्लिम लीग के साथ भारत के 85 प्रतिशत मुस्लिम तो जुड़ गए लेकिन हिंदू, सावरकर के साथ न जाकर महात्मा गांधी के साथ चला गया । अगर हिंदू, सावरकर के साथ इकट्ठा हो जाता तो फिर हिंदू और मुसलमानों में गृह युद्ध हो जाता तब भारत इतनी जल्दी आजाद नहीं होता, लेकिन हिंदुओं की बुद्धिमानी ने अंग्रेजों की भेद नीति को फेल कर दिया । अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा परंतु छोड़ने से पहले उन्होंने भारत के 500 से अधिक रियासतों को स्वतंत्र कर दिया और केंद्र शासित प्रदेशों में जनमत संग्रह के आधार पर भारत, पाकिस्तान में बांट दिया। उन्होंने कहा कि रियासते भारत और पाकिस्तान के साथ जाने के लिए स्वतंत्र है । तब भारत के सामने गंभीर स्थिति थी लेकिन सरदार पटेल की सूझबूझ और साहस से रियासतो को भारत में मिला लिया । जो नहीं तैयार हुए उनमे से जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर था । बाद में आसानी से जूनागढ़ और भेद नीति से हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया । लेकिन कश्मीर के राजा ने अपने को स्वतंत्र रखा । सरदार पटेल उनको भी मिला लेते पर नेहरू के मुस्लिम प्रेम की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाए । कश्मीर, पाकिस्तान से सटा था, इसलिए पाकिस्तान ने वहां भेद नीति अपनाकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया । कश्मीर के राजा हिंदू और जनता अधिकांश मुस्लिम थी, जब कश्मीर के राजा को लगा कि कश्मीर पाकिस्तान के हाथ मे चला जाएगा तो उन्होंने कश्मीर के भारत में विलय की शर्त मान ली और तब भारत ने वहां अपनी सेना भेजकर पाकिस्तानियों को खदेड़ा। नेहरू का झुकाव विश्व व्यवस्था और मुसलमानों की तरफ था । नेहरू अपने को विश्व नेता मानते थे। उन्हे दुनियां को खुश रखने की परवाह थी। भले ही भारत का नुकसान हो जाए तो हो जाए। नेहरू पटेल के सामने आ गए और युद्ध विराम हो गया। उस समय जो हिस्सा पाकिस्तान के पास बचा रह गया उस पर उसका कब्जा हो गया । भारत के पास जो हिस्सा बचा था, उस पर उसका अधिकार हो गया । कश्मीर का मुस्लिम समुदाय राजा के साथ था लेकिन नेहरू जम्मू-कश्मीर का जनमत संग्रह करवाना चाहते थे । कश्मीर की स्थिति तब और गंभीर हो गई जब गांधी जी की हत्या हो गई । कश्मीरियों के मन मे संदेह पैदा हो गया । उनको लगा कि जब भारत में गांधी जैसे व्यक्ति

की हत्या हो सकती है तो आगे की स्थिति और विकट होगी । इसी संदेह को मिटाने के लिए नेहरू ने कश्मीर के मुसलमानों की कुछ ज्यादा ही मदद कर दी । इस आधार पर मुसलमान को जितनी मदद मिलती गयी, उतनी उनकी सांप्रदायिक भावना मजबूत होती चली गई , वह खाते भी गए और गुर्राते भी गए । अब वो आश्वस्त हो गए कि अगर हम गुर्राते गए तो हमें खाने को मिलता रहेगा । कश्मीर के मुसलमान भारत के नेताओं को ब्लैकमेल करते रहे । नेहरू ने एक गलती और की उन्होने गांधी हत्या के बाद हिंदू सांप्रदायिकता को कुचलने की जगह मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया और व्यवस्था में धारा 370 और 35 ए लागू करके गंभीर संवैधानिक और कानूनी गलती कर कश्मीर को अपना प्रधान मंत्री नियुक्त करने की शक्ति दे दिया । कुल मिलाकर कह सकते हैं कि झगड़े का बीज नेहरू ने बोया । उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बड़ी गलती की, वह कानून तोड़ने के बजाय भारत में ही विरोध करते तो उचित रहता । इन्ही सब परिस्थितियों में कश्मीर की समस्या उलझती गई और मुस्लिम सांप्रदायिकता बढ़ती गई ।

अब कश्मीर भारत और पाकिस्तान का झगड़ा नहीं रह गया है बल्कि यह इस्लामिक विस्तारवाद और सांप्रदायिकता का झगड़ा बन गया है । पाकिस्तान तो अब सिर्फ मोहरा है इसको कश्मीर दे भी दिया जाए तो यह पंजाब की तरफ बढ़ेगे, फिर दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे । अगर किसी विस्तारवादी नीति से हमारा टकराव होता है तो हमें उसे न्याय-अन्याय के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए । मुस्लिम सांप्रदायिकता को कुचलना ही चाहिए , मानवता के नाम पर इनके साथ न्याय करने की कोई जरूरत नहीं है । कश्मीर समस्या का परिस्थितियों के आधार पर ही निपटारा होना चाहिए । अखंड भारत का नारा संघ के लोग लगाते हैं । अगर इनसे कह दिया जाए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत में मिला लिया जाए तो वह बिना शर्त के इनके विलय को स्वीकार ही नहीं करेंगे । कहेंगे कि इनके मताधिकार को छीनकर अखंड भारत बनाया जाए । इन से कौन पूछे कि बिना समान अधिकार दिए भारत अखंड कितने दिन तक रह पाएगा।

2 -दायित्व और कर्तव्य में फर्क: -

11 अगस्त 2021 को अभ्युदय भाई ने ज्ञान चर्चा मे दायित्व और कर्तव्य विषय पर चर्चा करते हुए कहा की यह दोनों अलग-अलग होते हैं । दायित्व बाध्यकारी होता है ,और कर्तव्य स्वैच्छिक। प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता असीम होती है और सामान भी। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की न कोई सीमा नही बनाई जा सकती है और न ही व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई बाधा पैदा की जा सकती है। राज्य भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं बना सकता। जिस तरह व्यक्ति को असीम स्वतंत्रता प्राप्त है उसी तरह स्वनिर्मित परिवार रूपी संगठन को अनुशासन में रहना उसकी मर्यादा एवं मजबूरी भी है। जब हमारी स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता के साथ इस तरह तालमेल बिठा लेती है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित न हो तो इसे ही अनुशासन या मर्यादा कहते हैं। बतौर व्यक्ति किसी की स्वतंत्रता असीम होती है और जब वह परिवार का सदस्य हो जाता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता लगभग शुन्य हो जाती है। स्वतंत्रता का यह तालमेल ही सहजीवन माना जाता है। राज्य की आदर्श भूमिका होती है समाज की प्रत्येक इकाई को सुरक्षा और न्याय की गारंटी देना। ऐसी इकाइयां तीन होती हैं। 1-व्यक्ति, 2- परिवार, 3- समाज । गांव, जिला, प्रदेश, राष्ट्र एवं विश्व, समाज की आंतरिक व्यवस्था की इकाइयां होती है न कि कोई स्वतंत्र इकाई। परिवार को ही एक स्वतंत्र इकाई माना जा सकता है। व्यक्ति, परिवार तथा व्यवस्था की अन्य इकाइयां एक दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न करें इसकी गारंटी देना राज्य का दायित्व होता है। राज्य को सुरक्षा और न्याय तक ही सीमित रहना चाहिए क्योंकि सुरक्षा और न्याय, राज्य का दायित्व होता है तथा अन्य सभी कार्य उसके स्वैच्छिक कर्तव्य। दुनिया की समस्याएं कुछ अन्य भी हो सकती हैं लेकिन यदि अभी हम भारत की प्रमुख समस्याओं का आकलन करें तो ये ग्यारह समस्याएं हैं , उनमें

से पाँच गंभीर समस्याएं है ,1- चोरी, डकैती, लूट, 2-बलात्कार, 3- मिलावट, कमतौल, 4- जालसाजी, धोखाधड़ी, 5- हिंसा, बल प्रयोग एवं आतंक,। ये प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षा एवं न्याय से जुड़ा हुआ विषय हैं, इसलिये इन पांचो समस्याओ को अपराधिक समस्या माना जाता हैं। अन्य छह समस्याएंः-1- भ्रष्टाचार 2- चरित्र पतन 3- सांप्रदायिकता 4- जातीय कटुता 5- आर्थिक असमानता 6- श्रम शोषण,ये छह समस्याएं सामाजिक समस्याएं हैं। सच्चाई यह है कि पांच अपराधिक समस्याएं समाज में इसलिए बढ़ रही हैं कि राज्य इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं देता है। शेष छह सामाजिक समस्याएं इसलिए बढ़ रही हैं कि राज्य इनमे सक्रिय भूमिका निभाता है। मेरी समझ से यदि राज्य इन छह सामाजिक समस्याओं की भूमिका से अपने को अलग कर ले तो ये समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी । और इन पर खर्च होने वाले समय, शक्ति, साधन भी बचेंगे जिनका प्रयोग राज्य सुरक्षा और न्याय के लिए कर सकेगा। अब तो हालात यह है कि जो सरकार बलात्कार नहीं रोक पा रहा है वह वेश्यावृत्ति एवं बार बालाओं पर प्रतिबंध लगाने का नाटक करती है। जो आतंकवाद नहीं रोक पा रही है वही सरकार ब्लैक और तस्करी रोकने का प्रयत्न करती है । सरकार का कोई भाग शराब बंद कर रहा है तो कोई तंबाकू। समाज में हिंसा पर बढ़ रहे विश्वास को राज्य बड़ी समस्या नहीं मान रहा है। परिवार के पारिवारिक मामलों में राज्य को किसी भी रूप में दखल नहीं देना चाहिए। किंतु राज्य हमेशा दखल देता है। जनकल्याण के सभी कार्य राज्य के लिए स्वैच्छिक कर्तव्य तक सीमित होते हैं। उपरोक्त गैर आपराधिक सामाजिक समस्याओं से समाज की सुरक्षा करना धर्म का दायित्व है किंतु राज्य इनमें अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तथा हमारे निकम्मे धर्मगुरु जो स्वयं प्रभावहीन हो चुके हैं वह निरंतर राज्य के चापलूस बनकर यह मांग करते हैं कि राज्य महिला उत्पीड़न रोके । वस्तुतः किसी भी प्रकार का शोषण रोकना या तो धर्म का काम है या समाज का। शोषण अनैतिक तथा असामाजिक होता है किंतु कोई अपराध नहीं होता है। वर्तमान समय में पुलिस और न्यायालय ओवरलोडेड हो गए हैं ।गंभीर आपराधिक मुकदमे जैसे हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, लूट, जालसाजी, धोखाधड़ी तक नहीं निपट पा रहे हैं। न्यायालय और पुलिस राज्य की गलत प्राथमिकताओं के कारण ओवरलोडेड हैं तथा राज्य की सभी इकाइयां अपने को ओवरलोडेड मानती हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि राज्य अपनी वर्तमान शक्ति का आकलन करे और उसके अनुसार स्वयं को पांच अपराधिक कार्यों तक सीमित करके अन्य कार्य समाज पर छोड़ दें। ये समस्याएं प्राकृतिक नहीं है बल्कि हमारे और राज्य के बीच नासमझी व तालमेंल ना बैठा पाने के परिणाम है। हम दायित्व और कर्तव्य को ठीक से समझना शुरू कर देंगे तो दुनियां को एक नया मार्गदर्शन देने में सफल हो सकेंगे।

कार्यालयीन प्रश्नोत्तर

प्रश्न-1 सरदार पटेल विभाजन के लिए दोषी थे या नहीं ?

उत्तर-पटेल भी भारत विभाजन के उतने ही दोषी हैं जितने की नेहरू ,जिन्ना और अंबेडकर। देश का बंटवारा पटेल की सहमति से हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी में पटेल का बहुमत था। पटेल चाहते तो बटवारा रुक सकता था। बटवारे की फाइल पर पटेल जी का भी हस्ताक्षर है। गांधी को बटवारे का जिम्मेदार मानने वाले लोग आखिर इस प्रश्न का जबाब क्यो नहीं देते की जब गांधी बटवारे के लिए तैयार थे तो पटेल ने इसका विरोध करते हुए कॉग्रेस पार्टी से इस्तीफा क्यो नहीं दे दिए ! क्यो नहीं इनके षडयंत्रो से देश को अवगत कराया ? इससे यह सिद्ध होता है की पटेल को देश से ज्यादा दल और पद प्यारा था। गांधी के विरोधी गांधी को जिम्मेदार मानते हैं लेकिन गांधी के समर्थक इतनी सी बात बताने में नाकाम क्यों रहते हैं कि जिन्ना,पटेल ,नेहरू और अंबेडकर की सत्ता की महत्वाकांक्षा ने देश का बटवारा कराया। बटवारे से गांधी जी को क्या मिला ! कुछ नहीं और बटवारे का लाभ उसके जिम्मेदार लेकिन दोषी गांधी जी है। असल मे किसी महात्मा पर दोष मढ़ देना आसान है।

प्रश्न-2 अक्सर लोग पुलिस की आलोचना करते है,क्या यह सही है ?

उत्तर -कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आम तौर पर पुलिस किसी को भी गाली दे देती है या पिटाई कर देती है ऐसी पिटाई प्रायः बेरहमी से होती ही है, कभी-कभी पुलिस ऐसे दुर्दात अपराधी को गैरकानूनी तरीके से गोली भी मार देती है। आमतौर पर हम पुलिस के कार्य को गलत कहने लग जाते है जो ठीक नहीं है । अपवाद स्वरूप ही पुलिस वाला गलत होता है अन्यथा वह किसी आपराधिक या गैर कानूनी कार्य के कारण ही बल प्रयोग करता है। यदि पुलिस वाला गलत भी है तो आपको कभी भी उसका प्रत्यक्ष विरोध करना ही नहीं चाहिए ।यदि आप समझते हैं कि पुलिस वाला व्यक्तिगत स्वार्थ या दुश्मनी के कारण किसी निर्दोष को पीट रहा है तभी उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और वह हस्तक्षेप भी कानूनी तरीके से ही हो सकता है प्रत्यक्ष नहीं । पुलिस का विरोध करना एक फैशन बन चुका है जिसके प्रभाव से पुलिस का मनोबल गिरता है और अपराधियों का बढ़ जाता है। मेरा आपसे निवेदन है कि सामान्यतया पुलिस की आलोचना से बचना ही उचित मार्ग होता है।

प्रश्न-3 भारत मे समाज विज्ञान पर शोध बंद होंने के क्या दुष्परिणाम हुए है ?

उत्तर-गत करीब से भारत में समाज विज्ञान पर रिसर्च बंद हो गया। दुनिया के अन्य देशों में तो समाज विज्ञान पर रिसर्च होता ही नहीं था लेकिन भारत में भी बंद होने का परिणाम यह हुआ की समाज व्यवस्था रूढ़ होती चली गई । इस रुढिवाद के कारण अनेक सामाजिक कुप्रथायंे भी चलती रही और इन कुप्रथाओं से होने वाले दुष्परिणामों से लाभ उठाकर राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था को गुलाम भी बनाने लगी । सामाजिक प्रथाओं को सुधारने की अपेक्षा लाभ उठाने की प्रवृत्ति ने इतना जोर पकड़ा की समाज व्यवस्था ही छिन्न-भिन्न होने लगी। स्वामी दयानंद या गांधी सरीखे लोगों ने कुछ सुधारने की शुरुआत की लेकिन अंबेडकर सरीखे लोगों ने उस सुधार को और ज्यादा खराब कर दिया। दुनियां के अन्य देशों की तरह ही वर्तमान भारत में राज्य को ही समाज मानना शुरू कर दिया गया है। यह समाज व्यवस्था के पतन की पराकाष्ठा है । रामानुजगंज को केंद्र बनाकर समाज विज्ञान का जो रिसर्च सामने आया है यह रिसर्च इस सारी समस्या का समाधान कर सकेगा ।

प्रश्न-4 अनावश्यक कानूनों को लेकर आपका क्या मत है?

उत्तर मैं अनावश्यक कानूनों की समाप्ति का पक्षधर हूं। यदि आप कानूनों की सूची देखेंगे तो इनमें तीन प्रकार के अनावश्यक कानून होते हैं- (1) ऐसे कानून जिनका उद्देश्य पूरा होने के बाद भी बने हुए हैं। (2) ऐसे कानून जिनका कोई उपयोग न पहले था ना अब है। (3) ऐसे कानून जो समाज में वर्ग विद्वेष बढ़ाने के लिए ही बनाए गए तथा लगातार ऐसे कानूनों को अधिक से अधिक सक्रिय किया जा रहा है । यह तीसरे प्रकार के कानून ज्यादा घातक हंै । इनकी संख्या भी कई सौ है। जैसे दहेज पर प्रतिबंध, छुआछूत रोकना, सती प्रथा प्रतिबंध, कन्या भ्रूण हत्या, बाल श्रम, आत्महत्या प्रतिबंध, आदि। ऐसे अनेक कानून है जो या तो अनावश्यक है अथवा समाज में वर्ग विद्वेष बढ़ाने वाले हैं। यदि गंभीरता से विचार करें तो कई कानून जितने हमारी सुरक्षा में सहायक हैं उससे कई गुना अधिक तो हमारे लिए परेशानी पैदा करने वाले हैं। अजीब बात है कि भारत में दहेज के स्वैच्छिक लेनदेन में बाधा पैदा करने वाले कानून भी अस्तित्व में है। अनावश्यक कानूनों को धीरे-धीरे समाप्त होना ही चाहिए।

उत्तरार्ध

अब धीरे धीरे कोरोना खतम हो रहा है। लगभग डेढ वर्ष हमलोगो की ज्ञान यज्ञ यात्राये नही हो पाई। अब आगामी दस सितम्बर से देश भर मे ज्ञान यज्ञो की श्रृखला शुरू हो रही है। इसका संचालन हमारे वरिष्ठ साथी अभ्युदय भाई कर रहे है। नरेन्द्र सिंह जी तथा प्रेम नाथ गुप्ता जी भी सहयोग दे रहे है। हमारा प्रयास है कि दिसम्बर तक सौ जगहो पर ज्ञान यज्ञो का आयोजन हो जाये। आप अपने निकटतम क्षेत्र मे शामिल हो सकते है। साथ मे आगे ज्ञान यज्ञो के आयोजन की योजना भी बना सकते है।

ज्ञान यज्ञ जन जागरण यात्रा का प्रथम चरण वर्ष-2021

क्रमांक	संयोजक	मेबाइल न0	दिनांक	दिन	स्मय	स्थान	राज्य	दूरी
1	मार्गदर्शन संस्था		10/9					
2	श्री पूरूषोत्तम दुबे	9617688125	11/9/21	शनिवार	11.00 सुबह	बिलासपुर छ0ग0	117	
3	श्री खुशीराम अग्रवाल	6260248885	11/9/21	शनिवार	4ः30 शाम	सीतापुर सरगुजा	छत्तीसगढ़	205
4	श्री प्रमोद भाई गुप्ता	9589856491	12/9/21	रविवार	12.30 सुबह	रामानुजगंज	छत्तीसगढ़	149
5	श्री नवल बाबू तुलस्यान		12/9/21	रविवार	5ः00 शाम	डालटेनगंज	झारख्ंाड	66
6	महेश पांडे जी	8340658117	13/9/21	सोमवार	1ः00 दोपहर	गया	विहार	176
7	मिथिलेश डागी	9430708229	14/9/21	मंगलवाल	4ः00 शाम	हजारीबाग	बिहार	135
8	राजु विश्वकर्मा	9576585772	15/9/21	बुधवार	11ः00 सुबह	रामगढ	झारखड	48
9	श्री वरूण विहारी	7870751911	15/9/21	बुधवार	4ः30 शाम	राची	झारखंड	46
10	श्री कृष्ण लाल रूंगटा	9968891635	16/9/21	गुरूवार	11ः00 सुबह	धनवाद	झारखंड	147
11	श्री आर्य प्रहलाद गीरी	9735132360	16/9/21	गुरूवार	4ः30 शाम	आसनसोल	प0 बंगाल12	64
12	विरेश वर्मा	9955161961	17/9/21	शुक्रवार	11ः00 सुबह	देवघर	झारखड	175

13 श्री सुधांशु जी

8809859358 18/9/21 शनिवार 11ः00 सुबह बांका झारखड 119

14 शशिरंजन 9373408233 19/9/21 रविवार 11ः00 सुबह लखीसराय विहार 52

15 श्री जय शंकर जी 7488220328 19/9/21 रविवार 5ः00 शाम बेगुसराय विहार 44

16 श्री कपिलेश्वर कपील 9201917171 20/9/21 सोमवार 11ः00 सुबह खगडिया विहार 130

क्रमशः आगे का क्रर्यक्रम ज्ञान तत्व के अगले अंक मे प्रकाशित होगा।

नोट-ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम संबंधी सूचना एवं जानकारी कार्यालय से प्राप्त करे। कार्यालय का फोन नम्बर-91.7869250001,

अभ्युदय भाई 930281720